

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE, MINISTRY OF COMMERCE,
ANDHERI (EAST), MUMBAI

F.No. SEEPZ/SEZ/POL:JB:99 384

Date : 13.01.2016.

PUBLIC NOTICE No. 19

Subject : Usage of allotted softex number by Reserve Bank of India-reg

RBI has observed that, the exporters are using same softex number against multiple port codes and across export agency. Whereas, it is mandated by RBI to use unique softex number for each submission.

In order to sensitize all the concerned IT units functioning within this zone, attention is drawn to RBI circular No. RBI/2011/12/400 - AP (DIR Series) Circular No. 80 dated 15.02.2012, whereby in annexure attached to the said circular at point No. D, it is clearly stipulated that, "**exporters can use allotted softex number either for each invoice or for a group of invoices with same currency of a particular customer. Softex number would be a control number for identifying any of the export transaction**".

Therefore, it is hereby directed to scrupulously abide by the above RBI circular and ensure that no such error creeps in while submitting softex online.

This issues with the approval of the Development Commissioner.



(V. P. SHUKLA)
DY. DEVELOPMENT COMMISSIONER,
SEEPZ -SEZ

Copy to:

1. All IT/ITES units of SEEPZ-SEZ
2. All IT/ITES units located SEZs under the jurisdiction of DC, SEEPZ-SEZ
3. All Specified Officers under the jurisdiction of the Zonal DC.
4. Computer Section, NSDL for uploading in the website.

भारत सरकार

विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीप्लज विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

फा.क्र. एस-1/एमआयएससी/सीमाशुल्क/200/2013-14-384

दिनांक: 19.01.2016


सार्वजनिक सूचना संख्या - 19

विषय : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंबटित सॉफ्टवेक्स नंबर का प्रयोग किए जाने के संबंध में।

भारतीय रिजर्व बैंक ने टिप्पणी की है की निर्यातको द्वारा मल्टीपल पोर्ट कोडों तथा सभी निर्यात एजेन्सी के लिए समान सॉफ्टवेक्स का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गए अधिदेश के अनुसार प्रत्येक लेन-देन के लिए यूनिक सॉफ्टवेक्स नंबर का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर कार्य करने वाले सभी संबंधित यूनितों को इस मामले में जागरूक बनाने के उद्देश्य से उनका ध्यान भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15.02.2012 के परिपत्र सं. आर बी आई/2011/12/400-एपी (डीआइआर सीरीज) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके साथ संलग्न एनेक्चर के बिंदु सं. डी में यह स्पष्ट रूप से अनुबंधित है की "नियतित ग्राहक विशेष की समान करेन्सी के साथ प्रत्येक इनवायस अथवा इनवायसों के ग्रुप के लिए आंबटित सॉफ्टवेक्स नंबर का प्रयोग कर सकते है। किसी भी निर्यात संबंधी लेन-देन का पता लगाने के लिए सॉफ्टवेक्स नंबर कंट्रोल नंबर का कार्य करेगा"।

अतएव, इसके द्वारा यह निदेश दिया जाता है की भारतीय रिजर्व बैंक के उपर्युक्त परिपत्र का ईमानदारी से अनुपालन किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए सॉफ्टवेक्स ऑनलाइन प्रस्तुत करते समय कोई त्रुटि न हो।

यह विकास आयुक्त सीप्लज-एसईजेड के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(विजय प्र. शुक्ल)
उप विकास आयुक्त
सीप्लज-सेज़

प्रतिलिपि :

1. सीप्लज-सेज़ के सभी आयटी /आइ टी ई एस यूनित।
2. विकास आयुक्त, सीप्लज सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सेजों में स्थित सभी आयटी /आइ टी ई एस यूनित।
- 3 क्षेत्रीय विकास आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी विनिर्दिष्ट अधिकारी
4. कम्प्यूटर अनुभाग, एन एस डी एल वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।